राजस्थान विधान सभा चुनाव 2013 के लिये

राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों पर

बच्चों
का
मांग पत्र

पहल :

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर

61 जनकपुरी–1 इमली फाटक जयपुर, राजस्थान, 302005

ईमेल– **rihr.rajasthan@gmail.com**

मोबाइल– **+919460397130, +917568245423**

Save the Children®

42, वृन्दावन विहार किंग्स रोड़ जयपुर, 302121 राजस्थान

फोन– **0141-4035881, 3220881**

राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। सभी राजनीतिक दल यह मानते है कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य है, परन्तु राजनितिक दलों के घोषणा पत्र में हमारी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं मिलती है।

दिसम्बर 2013 राजस्थान में विधान सभा के चुनाव होने जा रहे है। सभी राजनीतिक दल चुनावों में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने आगामी 5 वर्षो के लिए अपनी राज्य की जनता के साथ वादों व कार्यक्रमों के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने रखेगें। विगत चुनावों के राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से निकल कर आया है कि किसी राजनितिक दल के घोषणा पत्र में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई वादे या कार्यक्रम नहीं थे।

हमारे लिए (बच्चों के) स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, व सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के प्रयास सीमित रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में बच्चों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, व सुरक्षा पर हमारी जनसंख्या के अनुरूप समस्त प्रावधान किये जाऐं।

इस बार राजस्थान के विभिन्न जिलों के बच्चों के साथ दिसम्बर माह में होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करने के लिए एक अभियान की शुरूआत की है।

हम सभी बच्चे राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में निम्नलिखित मांगों को उनके घोषणा पत्र में शामिल करने की मॉग करते है–

बच्चों की सुरक्षा :

- 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के लगभग 12 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। तथा बाल श्रम में राज्य तीसरे स्थान पर है।
- डी.एल.एच.एस. 2007–08 के अनुसार हर पॉच में से दो बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है।
- महिला एंव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की बाल शोषण रपट, 2007 के अनुसार राज्य में बाल शोषण 50 प्रतिशत तक है।
- एन.सी.आर.बी. 2012 के अनुसार राज्य में वर्ष 2012 में बच्चों के विरूद्ध अपराध 6.59 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

अतः हम माँग करते है कि :

- जिला स्तर पर स्वतन्त्र बाल न्यायालय का गठन किया जाये।
- बच्चों की तस्करी पर पुर्णतया रोक हो, मानव तस्करी विरोधी इकाई का प्रत्येक जिले पर गठन एवं सक्रियता सुनिश्चित हो।

- बाल श्रम अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाऐ। बालश्रम करवानें वालों के खिलाफ कानून सख्ती से लागू किया जाये एवं मॉनीटरिंग प्रभावी रूप से हो।
- बाल विवाह रोकथाम हेतु पंचायत स्तर पर सरपंच या सचिव की जबाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- घर से भागे व बेसहारा बच्चों के लिए शहरों में ऐसे केन्द्रों (**Drop in Center**) की स्थापना की जाये जहां बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले और विधि से संघर्षरत बालक बालिकाओं के लिए संचालित गृहों में बच्चों के साथ मानसिक स्वास्थ्य एंव संर्वागीण विकास हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी जायें।
- मानसिक एंव विमंदित बच्चों के लिए संचालित गृहों में प्रशिक्षित अध्यापकों व कार्मिकों को नियुक्त किया जायें।
- प्रत्येक जिले में बच्चों की नशा प्रवृति को रोकने के नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाये।

शिक्षा :

- हर पांच में से एक बच्चा शिक्षा से वंचित एवं बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है।
- असर 2012 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 51.1 प्रतिशत विद्यालयों में ही शिक्षक–छात्र अनुपात अनुकूल है। 67 प्रतिशत विद्यालयों में ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। 77 प्रतिशत विद्यालयों में ही पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है।
- 2010 के चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 12.2 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित है।

अतः हम आपसे माँग करते है-

- प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का अनिवार्य रूप से गठन किया जाये। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए सुझाव पेटीका हो।
- प्रत्येक गॉव में मौसम अनुकूल विद्यालय भवन हो। बिना कक्षा कक्ष व एकल कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों में प्राथमिकता से कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जाये।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के राज्य नियमों के तहत संरचनात्मक (खेलकूद मैदान, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, रसोईघर, शौचालय, स्कूल की चार दीवारी) सुविधाएं विद्यालयों को नियमानुसार 31 मार्च 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जानी थी जिसे तुरन्त प्रभाव से निश्चित समय में उपलब्ध करवाना।
- लड़को व लड़कियों के लिए अलग अलग शोचालयों हो जहॉ पानी व साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- विद्यालय में बच्चों से सफाई करवाना, व्यक्तिगत कार्य करवाना पूर्णतः बन्द हो इसके लिए सरकार द्वारा अलग से व्यवस्था कराई जाये।
- तकनीकी शिक्षा के लिए कम्प्यूटर की अनिवार्यता हो तथा इसके प्रत्येक विद्यालय में अलग से कम्प्युटर शिक्षक हो।

चिकित्सा :

- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 57 बच्चें है।
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012 के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले एक हजार बच्चों में से 38 बच्चें अपने जन्म के पहले महिने में जीवन त्याग देते है।
- डी.एल.एच.एस. 2007 राज्य में 0 से 35 माह तक के 79 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है।

अतः हम माँग करते है कि :

- प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला अस्पताल सहीत) में बाल रोग व महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाये।
- ग्राम स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रुप से की जाये व इसके मुल्याकंन की उचित व्यवस्था हो।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के पास आने वाले बजट के खर्च की उचित व्यवस्था हो व ग्राम स्वास्थ्य समिति मे बच्चें को भी शामिल किया जाये।
- विद्याालयो मे होने वाली स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य रुप से लागू किया जाये।
- सभी बच्चों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सभी टीके निशुल्क उपलब्ध करायी जाये।
- कुपोषण के पिड़ित बच्चों को राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत राशन की दुकान पर 18 वर्ष तक के बच्चों के संबधित मल्टीग्रेन व मल्टिविटामीन युक्त पोषण सामग्री भी उपलब्ध हो।

विकास :

- 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक बच्चों में लिंगानुपात 1000 लड़को पर 883 है जो कि देश के औसत लिंगानुपात से काफी कम है।
- राज्य में बच्चों के विकास पर कुल बजट का मात्र 1.58 प्रतिशत ही व्यय किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 के अनुसार राज्य में 44 प्रतिशत बच्चें कुपोषण का शिकार है। आदिवासी क्षेत्रो में 90 प्रतिशत तक बच्चे कुपोषित है।

अतः हम माँग करते है कि-

- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो।
- प्रत्येक गांव में सभी बच्चों की पहुंच में सुविधा सम्पन्न आगंनवाडी केन्द्र हो जहां प्रत्येक सेवाएं एवं सुविधाएं मिलें।
- स्कूल स्तर पर एक ऐसा केन्द्र खोला जाये जहॉ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा व कैरियर निर्माण, बच्चों से सम्बन्धित कानून व जिम्मेदार व्यक्तियों से सबंधित जानकारी बच्चों को प्राप्त हो सके।
- बच्चों को सुने जाने हेतु पंचायत स्तर पर एक हेल्प डेस्क व सुझाव बॉक्स हो।
- बाल संगठनों को पंचायत राज व्यवस्था से जोड़ा जाये।

★ ★ ★ ★ ★

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट, जयपुर- 7665999933